



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ 1940 (श10)

(सं0 पटना 621) पटना, शुक्रवार, 29 जून 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2018

अधिसूचना संख्या 12/2018-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 204 दिनांक 29 जून 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 08/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या-551, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना संख्या 10/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 23 मार्च, 2018, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या-261, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, "30 जून, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 सितम्बर, 2018" अंक और शब्द रखा जायेगा—

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

29 जून 2018

एस०ओ० 204 दिनांक 29 जून 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 29<sup>th</sup> June 2018*

*Notification no. 12/2018- State Tax (Rate)*

S.O. 204 Dated 29<sup>th</sup> June 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification No.8/2017- State Tax (Rate) dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide number 551 dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, and last amended vide notification No. 10/2018-State Tax (Rate), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2018, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide number 261 dated the 23<sup>rd</sup> March, 2018 namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words “30<sup>th</sup> day of June, 2018”, the figures, letters and words “30<sup>th</sup> day of September, 2018” shall be substituted.

2. This Notification shall come into force with effect from 29<sup>th</sup> June, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 12)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 621-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>